संख्या-1/1881/26-2-2013

प्रेषक,

के0 राम मोहन राव,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 03 सितम्बर, 2013

विषय:- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में संशोधन।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवार के कमाऊं मुखिया(18 से 64 वर्ष आयु के मध्य) की आकस्मिक होने पर उनके आश्रितों को रू0 20,000/- की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-जे.-11015/2012-एनएसएपी, दिनांक 8 नवम्बर, 2012 द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत उक्त आर्थिक सहायता हेतु पात्रता के लिए आयु सीमा एवं आर्थिक सहायता की धनराशि में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि परिवार के कमाऊं मुखिया (महिला या पुरूष) जिनकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के मध्य हो अर्थात आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो,

http://shasanadesh.up.nic.in

की आकस्मिक मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को रू0 30,000/- (रूपये तीस हजार मात्र) की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजनान्तर्गत उक्त आर्थिक सहायता हेतु परिवार के कमाऊं मुखिया (महिला या पुरूष) जिनकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के मध्य हो अर्थात आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो, की आकस्मिक मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को रू0 30,000/- (रूपये तीस हजार मात्र) की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान किया जाय।

3. इस योजनान्तर्गत पूर्व में निर्धारित अन्य शर्ते एवं व्यवस्थाएं यथावत् रहेंगी। उक्त संशोधित शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-3-1744/दस-13, दिनांक 30.8.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(के0 राम मोहन राव)
सचिव

<u>संख्या-1881(1)/26-2-2013 तद् दिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

http://shasanadesh.up.nic.in

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
4. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
5. निदेशक, एन.आई.सी.योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि यह शासनादेश समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को ई-मेल के माध्यम से कृपया आज ही भिजवाने का कष्ट करें।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, समाज कल्याण अनुभाग-1/3, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in